न्यायालय सहायक कलेक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री विष्णु कुमार गोयल–। (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर : दावा / 2022 / 23

1. श्रवण पुत्र स्वर्गीय श्री भूरा जाति गुर्जर निवासी चिरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

– वादी–

बनाम

1. छोटू पुत्र श्री रामपाल
2. राजू देवी पत्नि भोलू
3. भूरी देवी पत्नि बिरधा
4. भैरू पुत्र श्री रामपाल
5. सूरज्ञान पुत्र श्री रामपाल
6. धन्ना पुत्र श्री रामपाल
7. मदन श्री रामपाल
8. गज्जा पुत्र श्री बिरधा
9. गणेश पुत्र भोलू

   समस्त जातियान् गुर्जर निवासीयान् ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

10. उप पंजीयक महोदय प्रथम तहसील कार्यालय सांगानेर जयपुर।
11. तहसीलदार महोदय तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

एवं आदेश

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11

सपठित धारा 151 सीपीसी

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:05.10 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय – दिनांक : 29.04.2022

प्रार्थी / प्रतिवादी संख्या 1 ता[illegible] प्रार्थना पत्र [illegible]र्गत आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी पेश [illegible] जिसमें [illegible] है कि अप्रार्थी / वादी व प्रार्थी / प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की [illegible] कृषि भूमि आराजी खसरा [illegible] 21 रकबा 0.13 हैक्टेयर वाकै ग्राम चिरोटा, तहसील सांगानेर में स्थित है तथा प्रार्थी / प्रतिवादीगण को कृषि भूमि खसरा नंबर 21 रकबा 0.13 हैक्टेयर के संबंध में

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करवाने का अनुतोष चाहा गया है। जबकि सही तथ्य यह है कि वादग्रस्त कृषि भूमि से अप्रार्थी/वादी का किसी प्रकार से कोई हक व अधिकार नहीं है। अप्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित अपने हिस्से का दिनांक 15.02.2019 को प्रार्थी/प्रतिवादी छोटू राम, भैरू राम, धन्नालाल, सुरज्ञान, मदनलाल पुत्रान रामपाल व जग्गाराम पुत्र बिरदीचन्द तथा गणेश पुत्र भोलूराम के पक्ष में जरिये पंजीकृत उपहार पत्र उपहार में दे दी तथा उक्त उपहार पत्र का पंजियन दिनांक 15.02.2019 को उप–पंजियक सांगानेर–प्रथम द्वारा प्रस्तुत संख्या–01 जिल्द संख्या–1110 में पृष्ट संख्या–39 क्रम संख्या–201903024100819 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 4035 के पृष्ट संख्या 75 से 87 पर चस्पा किया गया है व अप्रार्थी/वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 21 में उपहार पत्र करने के पश्चात बची हुई कृषि भूमि खसरा नंबर 21 में उपहार पत्र करने के पश्चात् बची हुई कृषि भूमि का विक्रय पत्र कानाराम गुर्जर, ओमप्रकाश गुर्जर पुत्रान् छोटूराम के पक्ष में दिनांक 02.02.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 15.02.2022 को उप–पंजियक बगरू, जिला जयपुर द्वारा पुस्तक संख्या –01 जिल्द संख्या 214 में पृष्ठ संख्या 108 क्रम संख्या 202203135100463 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 688 के पृष्ठ संख्या 254 से 262 पर चस्पा किया गया है। अप्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से का उपहार पत्र तथा विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान किया जा चुका है व वर्तमान में अप्रार्थी/वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना व देना नहीं है। जिस कारण से अप्रार्थी/वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। वादग्रस्त कृषि भूमि के साथ अन्य कृषि भूमियों के संबंध में पूर्व में स्थगन आदेश होने की वजह से प्रार्थी/प्रतिवादीगण के पक्ष में नामांतकरण तस्दीक नहीं हो सका था। वर्तमान में नामांतकरण की कार्यवाही लम्बित है। वादग्रस्त कृषि भूमि में अप्रार्थी/वादी का कोई हक व अधिकार निहित नहीं है, जिस कारण से अप्रार्थी/वादी को कोई वादकारण उत्पन्न नहीं होता है तथा वादकारण के अभाव में वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय से निवेदन है कि प्रार्थी/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद पत्र आदेश 07 नियम 11 के तहत मय हर्जा–खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर लिखित में अंकित है कि वादी एक ग्रामीण किसान व अनपढ़ व्यक्ति है तथा प्रतिवादीगण धन व बल में समृद्व है तथा एक ही समाज के व्यक्ति है। प्रतिवादीगण उक्त वादी की खसरा नंबर 21 के आस–पास कृषि भूमि है तथा प्रतिवादीगण ने पूर्व नियोजित प्लान से वादी को धोखा देने की नियत से वादी को तकासमा कराने के बहाने बनाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Scanned with OKEN Scanner

तहसील सांगानेर मे ले गये, वहां पर प्रतिवादी ने षडयन्त्रपूर्वक तरीके से उक्त उपहार पत्र तकासमा के बहान कराया है तथा वादी को उक्त उपहार पत्र की जानकारी प्रतिवादी द्वारा उकत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर हुई तथा वादी प्रतिवादी के विरूद्ध दाण्डिक व सिविल कार्यवाही करने का अधिकारी है तथा दिनांक 02.02.2021 विक्रय पत्र का जिस प्रकार वर्णित किया है उसमें वादी ने कोई सम्पत्ति बेचान नही की, प्रतिवादीगण आपस मे उक्त सम्पत्ति को खुर्द–बुर्द करने की नियत से बेचान कर रहे है, जबकि उक्त सम्पत्ति गैर मुमकीन चाह जमीन है तथा तकासमाशुदा नही है और न ही तकासमा हो सकता है तथा वादी को प्रतिवादीगण बेवजह परेशान करना चाहते है। वादी उक्त आराजीयात पर आज भी अपने हिस्से के मुताबिक काबिज, काश्त है तथा अविभाजित हिस्सा है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजीयात को खुर्द–बुर्द करने पर उतारू है जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नहीं है। प्रतिवादीगण फर्जी दस्तावजों से नामान्तकरण खुलवाना चाहते हैं तथा वादी का आज भी हिस्सा उकत आराजीयात पर निहित है जिसका कि वादी को अपनी आराजीयात से बेदखल करने का प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार नही है। जवाब के अतिरिक्त कथन में अंकित है कि प्रतिवादीगण ने उक्त प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय को गुमराह करने की गरज से पेश किया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानो के अन्दर नही आता है तथा वाद कारण के बारे में भी प्रतिवादी स्वंय वर्णित कर चुका है कि बेचान के बाबत् नामान्तकरण खुलवाना है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि वाद कारण घटित हुआ है, इस कारण वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। उक्त वाद राजस्व न्यायालय से संबंधित है तथा निर्धारित न्यायशुल्क पर वाद प्रस्तुत किया गया है। ऐसी सूरत में उक्त प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किये जाने योग्य है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जे–खर्चे के खारिज फरमाया जावें।

बहस प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात अवलोकन किया गया। वादी द्वारा वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 21 रकबा 0.13 हैक्टेयर ग्राम चिरोटा तहसील सांगानेर की वादी की पैतृक आराजीयात है तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 एवं अन्य काश्तकार हिस्से अनुसार खातेदार काश्तकार है। जबकि प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा आ[illegible]त्र आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के साथ प्रस्तुत [illegible]है कि अप्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित [illegible] हिस्से [illegible] दिनांक 15.02.2019 को प्रार्थी/प्रतिवादी छोटू राम, भैरू राम, धन्नालाल, सुरज[illegible]धन्नालाल पुत्रान रामपाल व जग्गाराम पुत्र बिरदीचन्द तथा गणेश पुत्र भोलूराम के पक्ष में जरिये पंजीकृत उपहार पत्र उपहार में दे दी तथा उक्त उपहार पत्र का पंजियन दिनांक 15.02.2019 को

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 16:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

उप–पंजियक सांगानेर–प्रथम द्वारा प्रस्तुत संख्या–01 जिल्द संख्या–1110 में पृष्ट संख्या–39 क्रम संख्या–201903024100819 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त है व अप्रार्थी/वादी द्वारा उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 21 में उपहार पत्र करने के पश्चात बची हुई कृषि भूमि खसरा नंबर 21 में उपहार पत्र करने के पश्चात् बची हुई कृषि भूमि का विक्रय पत्र कानाराम गुर्जर, ओमप्रकाश गुर्जर पुत्रान् छोटूराम के पक्ष में दिनांक 02.02.2022 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र बेचान कर दिया तथा उक्त विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 15.02.2022 को उप–पंजियक बगरू, जिला जयपुर द्वारा पुस्तक संख्या –01 जिल्द संख्या 214 में पृष्ठ संख्या 108 क्रम संख्या 202203135100463 पर पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 688 के पृष्ठ संख्या 254 से 262 पर चस्पा किया गया है। अप्रार्थी/वादी द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि में निहित अपने सम्पूर्ण हिस्से का उपहार पत्र तथा विक्रय पत्र के माध्यम से बेचान किया जा चुका है व वर्तमान में अप्रार्थी/वादी का वादग्रस्त कृषि भूमि से किसी प्रकार का कोई लेना व देना नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्थाई निषेधाज्ञा का वाद केवल मात्र रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार ही प्रस्तुत कर सकता है और अप्रार्थी/वादी ने वादग्रस्त आराजीयात में अपने खातेदारी अधिकार जरिये उपहार पत्र प्रतिवादीगण को स्थानांतरित कर दिए है। और आदिनांक को अप्रार्थी/वादी वादग्रस्त आराजीयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार नही है। ऐसे में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रथम दृष्टया ही खारिज किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थीगण/प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 07 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बार्ड बाय लॉ होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 29.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय

Signature Not Verified

Digitally signed by Vishnu Kumar Goyal
Date: 2023.01.13 15:05:10 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner